

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद गोण्डा में भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा उत्तरौला-फैजाबाद-प्रयागराज मार्ग एस०एच०-09 के किमी० नं०-53 (चैनेज नं०-52.249) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-1299 ग्राम बहादुरा तहसील तरबगंज जिला गोण्डा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट से मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.223146 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 38 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/146931/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-128/81-2-2023-800(111)/2023 दिनांक 08 मई 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 08-05-2023 14:44:51

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।